पत्रांक–1प्रा0आ0–13/2016 ....3316..... /आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार।
सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना–15, दिनांक–1/9/16

विषय: **साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के दैनिक मजदूरी के दर की निर्धारण करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय पत्रांक–3438 दिनांक 17.11.2009 द्वारा साहाय्य कार्य में लगे नाविकों के लिए दिनांक–01.10.2009 के प्रभाव से मजदूरी की दर 132 (एक सौ बत्तीस) रूपये प्रतिदिन निर्धारित की गयी थी तथा यह भी निर्णय लिया गया था कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी देय होगी।

वर्त्तमान में श्रम संसाधन विभाग द्वारा दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से परिवर्त्तनशील महंगाई भत्ता लागू किये जाने के फलस्वरूप श्रम विभागीय अधिसूचना संख्या 1225 दिनांक 01.04.2016 के अनुसार प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों हेतु 262.00 रूपये प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गयी है। अतएव सूचित करना है कि दिनांक 01.04.2016 के प्रभाव से साहाय्य कार्य में लगे नाविकों की दैनिक मजदूरी रू0 262.00 (दो सौ बासठ रूपया) होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में श्रम संसाधन विभाग द्वारा प्राईवेट फेरीज एवं एल0टी0सी0 के कुशल श्रेणी के कामगारों के लिए निर्धारित मजदूरी संबंधी अधिसूचना के अनुसार ही साहाय्य कार्य में लगे नाविकों को मजदूरी स्वतः देय होगी।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझा जाए।

विश्वासभाजन

1/9
(व्यास जी)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक ....3316..... /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक–1/9/16

प्रतिलिपि– सभी संबंधित जिलों के प्रभारी प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1/9
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3316 / आ0प्र0,   पटना–15, दिनांक– 1/9/16

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव

ज्ञापांक 3316 / आ0प्र0,   पटना–15, दिनांक– 1/9/16

प्रतिलिपि– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान सचिव